12-503/18

तीय गैर न्यायिक ारत INDIA

500

FIVE HUNDRÉD RUPEES


पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उल्तर प्रदेश UTTAR PRADESH





गुलाव बाग ट्रस्ट ट्रस्ट विलेख

यह ट्रस्ट दिलेख आज दिनांक 14-11-2018 ई0 को जनपद वाराणसी भे श्री यादव पुत्र श्री रंगजी बादव निवासी मकान गुलाब सिंह 15/183-एन-10-एम, मवइया, वार्ड सारनाथ, जिला- वाराणसी द्वारा किया गया जिन्हें आगे ट्रस्टकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा और क्योंकि ट्रस्टकर्ता / संस्थापक पर रूपये 20,500/- (दीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की धनराशि है, जिसे कि वह पुरुवार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते है। ट्रस्टकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति बनने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा। यह ट्रस्ट "गुलाब बाग ट्रस्ट" के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा।

ट्रस्टकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है के द्वारा ट्रस्ट के कोष में सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके।

4149 SED DINE



लेदपुर, परगना- शिवपुर, तहसील व जिला- वाराणसी, उठ प्रठ रहेगा। आधेक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि ट्रस्टकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेत्

नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

गलाब बाग ट्रस्ट

उद्देश्य एवं नियमावली दूस्ट के उद्देश्य

ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

पाठशालाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुरतकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विश्वविद्यालयों, अनुसंघान केन्द्रों, छात्रावासी कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्देक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरन, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

स्वरूष विक्रय की लिखि न्दान्य क्रव कारने का प्रयोजन स्वाप होता का नाम य परा पता ... जे मान गुर्मा ख्यम् की कत्ताकी /उद्यः....

स्ताम्य विकेता »: गण गम भोत् शासीन शिद्दीकी

प्रतिकत- 20500 स्टाम्प शुक्कः हिन्ते बाजसे अस्ति। ० पंजीक हिन्द्री । स्पेर्ट प्राप्त प्राप्त । १५० प्राप्त ।

श्री गुंजीव सिंह वादव पुत्र श्री रगजी यादव ट्यवसाय : ट्यापार

निवासी: सा॰ 15/183-एन-10-एम मवड्या वार्ड सारनाथ जिला वाराणसी।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 14/11/2018 एवं 11:38:59 AM बजे निबंधन हेतु वंश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक सदर चतुर्थ वाराणसी 14/11/2018

मनोज कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





(3)

विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, अग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों पर विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का 2.

नागरिकों विशेष कर बालकों, बालिकाओं, युवक, युवतियों की शिक्षा, स्वारध्य सामाजिक एवं संवागीण विकास तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 3.

विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन/आवास/सुविधाओं आदि की

विभिन्न कक्षाओं, वर्गों के लिए पाठ्यक्रम मानक निर्धारित करना, परीक्षायें लेना।

पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संपादन, प्रकाशन, मुदण 5. 6.

शिक्षा एवं शिक्षा पद्धतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर

सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोध्ठियो 7. सम्मेलन, प्रतियोगितायें, बैठकें, विशेष कक्षायें, छात्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि 8.

समाज कल्याण विभाग, नावार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव

нетария

संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य कर संकना।



4 4912 41 711 11 A CONTRACTOR RELIGIO स्टप्य विक्रय की तिथि..... म्दाप्य क्रय करने का प्रयोजन.... > 1419 निर्म भार् स्त्रय्य केता का द्वाभ न पुरा पता 🙃 वर्षेत्र वाद ग्रानी व समझम अअम्म व आप्त प्रमुखान प्रते वानुसार उपत स्यासीः भाइतेन्स प्रन्यम् - 258 / 2011 नामास्य का उत्वाच - 20/1 से 20 ए सक

श्री गुलाबःसिक्तमस्मित्रपुत्र श्रीश्लेजी यादवीनानी न्यायालय निवासी: सा॰ 15/183-एन-10-एम नुवड्या वाड सारनाथ जिला वाराणसी। Dald (1 2 60).

ट्यवसाय: ट्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ताः 1

श्री रामदवर यादव, पुत्र श्री स्व॰ मत्तल यादव निवासी: ग्राम लेदूपुर परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी।

व्यवसायः कृषि रेशिएत्र प्राप्टल

पहचानकर्ताः 2

श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, पुत्र श्री दयाशंकर यादव निवासी: ग्राम मवड्या नान्ह्पुर तहसील व जिला वाराणसी। टयवसाय: कृषि





रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक : सदर चतुर्थ मनोज कुर्मार श्रोवास्तव कनिष्ठ सहायक (निबंधन) • नियमित



EN 110362

(4)

सिलाई कढाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा कर सकना।

11. सामाजिक न्याय के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता को अक्षुण्ण रखने हेतुं सीधबीधएस७ई०, आई०सीधएस७ई०, यू०पी० बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के विद्यालय, महादिद्यालय, विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, आई०टी७आई०, पुस्तकालय, फार्मसी, फिजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना, चिकित्सा केन्द्र, अस्पताल, प्रेस को स्थापना, सचालन, विकास आबद्ध, लेब टेक्नीशियन, सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।

ग्रेडिकल कालंजां, इजीनियरिंग कालेजां, विश्वविद्यालयां को अपने ट्रस्ट द्वारा संज्ञालत कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।

 ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

14. विधे सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।


15. आयुर्वेदिक औषाधेयों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।

18. कृति उपयोग कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।

17. पर्यादरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यादरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेनिनार कर सकना।

एड्स के बारें में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।





पुस्तक, पुस्तिकार्ये, पत्र-पत्रिकार्ये, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, मुद्रित, 19. सम्पादित, वितरित, विक्रीत कर सकना।

ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं / वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क / मूल्य / निर्धारित 20.

करना तथा प्राप्त करना।

पत्राचार द्वारा, अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थायेंक र सकना व दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालन कर सकेगा। 21.

उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों 22. पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।

जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर 23. 24. सकना।

विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, 25.

स्मृति चिन्ह् आदि प्रदान कर सकना।

विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कालेजों / विधि महाविद्यालयों 26. /इंजीनियरिंग कालेजों / प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार (Franchise) प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार (Franchise) अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को ट्रस्ट में समाहित करने की इच्छुक हो तो, उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, ट्रस्टियों एवं ट्रस्ट मण्डंल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही, संस्था/समिति

जनाव कि कान





(6)

को ट्रस्ट में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था ट्रस्ट की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।

ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना एसका ट्रस्ट के 27.

उददेश्य में प्रयोग करना।

- ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपनी 28. सेवायें / वस्तुएं / लागत मुल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खण्डन्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर
- ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, जन कल्याण की भावना एवं 29. ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेहरू युवा सुधार हेत् रोजगार केन्द्र, प्रांढ शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
- ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने 30. हेत् ही व्यय करेगा।

ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना। 31.

कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहाय एवं जरूरतमन्दों 32. को निःशुल्क शिक्षा देना, पिछड़े वर्गों, अनु० जातियों, अनु० जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी भी हिस्से में (संघशासित राज्यों में भी) शैक्षिक संस्थाओं, कृषि, विज्ञान, कस्यूनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थायें, महिला कल्याण योजनायें, राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य





BT 316675

(7)

किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य

कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। 33.

कृषकों / ग्रामीणों को फूल एवं औषधीय खेतों के विषय में जानकारी देना एव 34. उत्पादन किये गये माल को आयात व निर्यात करना।

कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पॉलिक्लीनिक का निर्माण करना। 35.

बालक, बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग, प्रिन्टिंग व 36. ब्युटिशियन आदि की शिक्षा कर सकना।

अहिंसा, जीवदया, शाकाहार आदि का प्रचार करना। 37.

पशुओं और पक्षियों की सेवा तथा देखभाल हेतु पशु—आश्रय, गौशालाओं, 38. पांजरापोल, जीवदया संस्थाओं की स्थापना, समर्थन, संचालन, अनुरक्षण तथा सहयोग प्रदान करना।

शारीरिक रूप से विकलांग, अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय एवं अक्षम या मानिसक रूप से 39. अपंग व्यक्तियों के लिए संस्थाओं का विकास एवं स्थापन, संचालन, अनुरक्षण करना एवं उनको शिक्षा, भोजन, आवास, कपड़े या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध करवाना एवं उनके पुनर्वास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना।

प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, (दुर्भिक्ष), तूफान, (चक्रवात), भूकम्य, बाढ़, 40. आगजनी, महामारी आदि के समय पीड़ित जरूरतमन्द लोगों को सहायता एवं राहत प्रदान करना तथा ऐसे राहत कार्यों में लगी सथाओं को दान एवं अन्य सहायता

प्रदान करना।

Tata3 4124





(8)

मरघट, समाधी स्थल तथा श्मशान का निर्माण, मरम्मत, जीर्णाद्धार तथा प्रबन्ध 41. करना।

ब्रिक्स (ईटा) एवं टाइल्स का निर्माण कर सकना। 42.

शीतगृह एवं आईस प्लान्ट आदि का निर्माण करना।

आरा मशीन के माध्यम से प्लाईवुट की मेनुफेक्चरिंग कर उसका निर्माण करना। 43. 44.

वाटर पार्क आदि की सुविधा को मुहेया कर सकना। 45.

प्रारम्भिक उपबन्ध-2.

वर्तमान ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से श्री गुलाब सिंह यादव को ट्रस्टकर्ता एवं इस ट्रस्ट विलेख के रचयिता (Author of Deed) भी है, को इस 1. ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है तथा श्रीमती मंजू सिंह यादव पत्नी श्री गुलाब सिंह यादव व श्री अंकुर सिंह यादव व श्री अंकित सिंह यादव व श्री पशुपति नाथ यादव पुत्रगण श्री गुलाब सिंह यादव को ट्रस्टी सुनिश्चित किया जाता है।

वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी जीवनकाल में जब चाहे अपना उत्तरदायित्व ट्रस्टियों में से किसी एक ट्रस्टी को बहुमत के आधार पर स्थानान्तरित कर

संकते हैं।

किसी भी नये ट्रस्टियों के चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को 50,000/- (पचास हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट (ट्रस्ट के नाम) बनवाकर आदेदन करना होगा जिसे ट्रस्टियों के समक्ष रखा जायेगा। ट्रस्टियों द्वारा 3/4 बहुमत से स्वीकृत

Te 5/69





BT 316673

(9)

होने पर ही उसे ट्रस्टी बनाया जा सकेगा। किन्ही कारणों से ट्रस्टी न बनाये जाने की स्थिति में आवेदक की धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4. किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट से पद मुक्ति करने की शर्ते निम्न है— मृत्यु, ट्रस्ट विरुद्ध कार्यों में संलिप्तता पाये जाने, किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्षों या इससे अधिक सजा दिये जाने पर, दिवालिया होने पर, पागल होने पर, व्यभिचारी होने पर, त्याग पत्र देने पर, पद मुक्ति/निष्कासित किया जा सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी पद का हस्तान्तरण—

 मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य है कि अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी की व्यवस्था कर दे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी में ही मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ट्रस्टियों में किसी को प्रदान कर

सकता है।

 किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जी कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी का प्रदत्त किये गये है।

4. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा रिजस्ट्रार के यहाँ रिजस्टर्ड कर सुनिश्चित न कर दी जाय तो श्री गुलाब सिंह यादव के मृत्यु के पश्चात श्रीमती मंजू सिंह यादव पत्नी श्री गुलाब सिंह यादव व श्री अंकुर सिंह यादव व श्री अंकित सिंह यादव व श्री पशुपति नाथ यादव पुत्रगण श्री गुलाब सिंह यादव इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे। नव नियुक्ति मैनेजिंग

जिलाव मेर कार्य





BT 316672

(10)

ट्रस्टी को 6 माह के अन्दर 3/4 ट्रस्टियों का बहुमत प्राप्त करना होगा। अन्यथा कि रिधति में किसी भी ट्रस्टी को 3/4 बहुमत के आधार पर ही मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया जायेगा। बहुमत के आधार पर नये मैनेजिंग ट्रस्टी के चयन होने तक श्रीमती मंजू सिंह यादव पत्नी श्री गुलाब सिंह यादव व श्री अंकुर सिंह यादव व श्री अंकित सिंह यादव व श्री पशुपति नाथ यादव पुत्रगण श्री गुलाब सिंह यादव मैनेजिंग ट्रस्टी बने रहेंगे।

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्घ में की गई वसीयत / इच्छा / व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना कार्यभार अपने ट्रस्टियों में से किसी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकेगा।

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी तभी अपने ट्रस्टियों में से किसी का हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है, जब तब कि वास्तविक रूप 7. से कार्यभारत अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।





BT 316671

(11)

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अपने ट्रस्टियों में से किसी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा। 8.

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज-

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, 1.

जिसमें कि अधिकतम पन्द्रह सदस्य होंगे।

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्य अविध 2. मैनेजिंग ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी ट्रस्टियों की राय/बहुमत से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक / प्रसाद पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी जब भी उचित समझें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक

आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी स्वयं करेगा। यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा

जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग द्रस्टी की इच्छा पर

مراص امرع طاقما





7.

BT 316670

(12)

निर्भर करता है। इस सन्दर्भ में मैनेजिंग दूस्टी के द्वारा लिया गयो निर्णय ही मान्य एव अन्तिम होगा।

मैनेजिंग ट्रस्टी का विशेषाधिकार-मैनोजेंग ट्रस्टी को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत / संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष. ट्रस्ट कें कार्यकलायों में किसी भी स्तर पर कोई दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अपने विशेषाधिकार के तहत 5 ट्रस्टियों का चयन अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में बिना आवेदन शुल्क या प्रस्ताव पर उनकी सहमति के आधार पर कर सकता 18

मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधायें-6. ट्रस्ट का कार्यालय ही मेनोजग ट्रस्टो का कार्यालय होगा।

> कार्यक्षेत्र-ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक उत्थान हेत् विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

सचिव / उपसचिवत की नियुक्ति-





(13)

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

यह कि सचिव/उपसिचव के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा

निश्चित किये जायेंगे।


यह कि उक्न सचिव / उपसचिव, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त 3. कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्अयों के बहुमत से उक्त पदों पर कार्यस्त व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरुद्ध प्रशासनिक/विधिक/ अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष की नियुक्ति-मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा। यह कि उपाध्यक्ष / उपाध्यक्षों के वेतन, भत्ते, सुविधायें, कार्य, नियम मैनेजिंग

ट्रस्टी द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

ाल कि मार्भ





(14)

उ. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी किसी भी समय उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के किसी प्रकार की अनुशासनहीनता/कार्यशिथिलता ट्रस्ट के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियों कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित व प्रदान कर सकता है।

10. मैनेजिंग ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य— यह कि इस डीड के अन्तर्गत मैनेजिंग ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे—

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) द्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए द्रस्ट के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/ परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने के दिनाक से भान्य होगा।

11. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-





BT 316667

(15)

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमित से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना। परन्तु उपाध्यक्ष बिना मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमित के कोई निणंय नहीं ले सकता।

12. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यवाही एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है—

1. द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।

 ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिनि की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।

 ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालिक कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/ संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।

5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु निर्णायक नियुक्त कर . सकना। 0

जिलाक गारियान





INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 316666

(16)

- एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका काय विभाजन कर सकना।
- 7. प्रचार/प्रसाद/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विकय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
- जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना। सचिव द्वारा किसी प्रकार का लिया गया निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी की स्वीकृति के बाद ही मान्य होगा।
- 13. उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-
- सचिव की अनुपरिधात में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
- सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों / कर्तथों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
- सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।
- 14. बैंक एकाउन्ट-
- 1. ट्रस्ट का खाता किसी बँक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी स्वय अधवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये ने देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा सचालित कर सकता है। सामान्यतया खाता मैनेजिंग ट्रस्टी व ट्रस्टी का संयुक्त रहेगा। चिशेष परिस्थिति में में खाते का संचालन तीन लोग भी (ट्रस्टियों में से) सयुक्त रूप

जनावासिंगान .





बीस रुपयें

ফ.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265605

(17)

से कर सकते है। मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल खाते का संचालन किया जा

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय /संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बँक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बँक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

15. विधिक कार्यवाही-

संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

16. सम्पत्ति सम्बन्धी-

 इस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।

 ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।



बीस रुपये

5.20

TWENTY RUPEES

DIA NON JUDICIAL

THE UTTAR PRADESH

37AA 265604

(18)

ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रस्टी, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सन्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत

ट्रस्ट चल/अचल सम्पति क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है,

किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति विन्ह, 5. मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।

ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है. सुरक्षित कर सकता है. किसी येक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्त को विनियोजित कर सकता है।

चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति (Guarantee), भाड़ा क्रय (Hire Purchase), 7. अनुझप्ति (License), बन्धक (Mortage), भारित (Charge), गिरवी (Pledge), विभाजित (Partition) आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय (क) /कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेत् पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते है। परन्तु यदि वह इस डीड आफ द्रस्ट "गुलाब बाग् ट्रस्ट" के उददेश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का

माली यह बार्य



ক.20

Rs.20

TWENTY

INDIA NON JUDICIAL

ान प्रदेश UTTAR PRADESH

3744 265467

(19)

अतिक्रमण करते हैं तो दह नियम/उर्यन्यम्, अनिक्रमण की सीम तह मून्य होगे।

मेर्नाजग इस्तो याँव राधित समग्र ता किसी/किसी पांगेमधारण में इस इस्त डीड के किसी/किसी प्रांतधान/प्रांतधारों का शिक्षत कर सकते हैं तथा प्रांतधार/प्रांतधारों के हात हुए भी अन्यधा रिगोध से सकते हैं। इस सन्दर्भ में मेर्नाजग इस्ती का दिवक/ यादम्धा है। श्रांत्रम हाता।

कि "गुलाब बाग दूसर" की उक्त दूसर दिन्छ (Instrument of Trust) एवं उसमें साम्मिहत "गुलाब बाग दूसर" की एउटश्य एवं नियमावनी एतट द्वारा अधिनियांमत, अनुभादित, घांचन, स्टीकृत, आन्मार्थन एवं तत्काल स कार्यान्टित की जानी है।

कि उन्ते द्रस्ट दिलखं (Instrument of Trust) की पदकर एवं समझकर व्यवहार में लान हतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हम्लक्ष कर दियं गये।

अतः मैं दूसरों श्री गुलाब सिंह बादव इस दूसर दिखं को लिखवा व रिकत करवाकर पढ़ व पढ़वाकर मुन व इसके प्रभावों को पूर्व तरह सम्झकर तथा उसके परिणामों से पूर्वतः अदगत रहते हुए, स्वस्थ एवं प्रसन्न शार्थिक व मार्गामक स्थितियों में, दिना किसी बाह्य हस्तक्ष्म अथवा अन्यया दश्य के उपस्थित साक्षियों के समक्ष हस्तक्ष्मित कर दे रहे हैं, ताकि प्रमान रहे व सम्यानुसार हरपयांगी हो सके।



बीस रुपये

₹ .20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265602

(20)

अभिलेखीय तिथि .

► 14-11-2018 \$0

साक्षीगण

1. नाम पिता का नाम श्री रामदवर यादव
स्व० मत्तल यादव

पता

 स्व० मत्तल यादव
ग्राम लेढूपुर, परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी।

.

आधार संख्या-

मोबाइल नम्बर

पहचान पत्र

07981966767

हस्ताक्षर

राभदवर्यापय

2. नाम

A

धीरेन्द्र कुमार यादव

पिता का नाम पता > दयाशंकर यादव

. >

ग्राम मवईया, नान्हूपुर, तहसील व जिला वाराणसी।

पहचान पत्र

आधार संख्या-

मोबाइल नम्बर 🍃

7007130049







बीस रुपये



TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 265601

(21)

मसविदाकर्ता

अखिलेश कुमार पाण्डेय (एडवोकेंट) बीठबीठए० बिल्डिंग कक्ष संख्या 123, दीवानी कचहरी, वाराणसी। मोबाइल नम्बर 09454354443

टाईपकर्ता

सारनाथ इण्टर प्राइजेज जिला परिषद रोड, कचहरी, वाराणसी।

Banaras 1129

संख्या 4 जिल्द संख्या 153 के पृष्ठ 75 से 116 तक क्रमांक १ पर दिनाँक 14/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रमार्शकर सिंह प्रभारी उप निबंधक : सदर चतुर्थ वाराणसी 14/11/2018